ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

1. **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बड़ाग्रां विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति सरला देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री मंगत राम	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री मदन लाल	01.04.13 से 31.08.13
2	श्री संजय कुमार	01.09.13 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-
2	4.3	नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे	-

		तैयार न करना	
3	5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना	0.07
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	4.05
5	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	7.17
6	9	निर्माण कार्य " नि. महिला मण्डल भवन , बड़ाग्रां "में सीमेंट का संभावित दुरुपयोग	-

भाग-दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ , जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल , अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 08.09.16 से 15.09.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमश: माह 3/14, 2/15 व 6/15 तथा 3/14, 10/14 व 1/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ , जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 215 दिनांक 15.09.16 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 537371 (PNB) दिनांक 15.09.16 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित की गई है।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	248987	53775	302762	17170	285592
2014-15	285592	47502	333094	14573	318521
2015-16	318521	48183	366704	14510	352194

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	117823	1431229	1549052	1493517	55535
2014-15	55535	3620616	3676151	3270688	405463
2015-16	405463	2755005	3160468	2755914	404554

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व: स्त्रोत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹352194

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹404554

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹756748

हस्तगत राशि : ₹0/-

अन्तर की राशि : ₹0/-

बैंक खाता संख्या	राशि
MNREGA, HGB - 100784	0
General, MP,BASP,IAY,RAY,SBM PNB - 049573	299976
13TH FC, Own Source KCCB - 05275	456772

कुल राशि	756748

4.2 **<u>रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-</u>**

ग्राम पंचायत बड़ाग्रां की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 **<u>नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना :-</u>**

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया था । अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त स्व: स्त्रोत आय को खाता-क व अनुदानों को खाता -ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

5 **<u>पंचायत राजस्व ₹ 0.07 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-</u>**

पंचायत की स्व: स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से जांच में पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹6865 की वसूली शेष थी।

1 **गृहकर**:

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि

2013-14	2450	10890	13340	9675	3665
2014-15	3665	10280	13945	8560	5385
2015-16	5385	10720	16105	9240	6865

2 भू- राजस्व की वसूली न करना :- पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 201 3-14 से 2015-16 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

6 <u>अनुदान ₹ 4.05 लाख का उपयोग न करना</u> :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹404554 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 <u>निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका एवं इन कार्यों के मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8 **<u>औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 7.17 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹717495 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **<u>निर्माण कार्य " नि. महिला मण्डल भवन, बड़ाग्रां " में सीमेंट का संभावित दुरुपयोग :-</u>**

माप पुस्तिका 1719 पृष्ठ 86-89 में निर्माण कार्य " नि. महिला मण्डल भवन बड़ाग्रां " के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट , रेत व बजरी की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था , जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	**सीमेंट की अपेक्षित मात्रा**	**रेत की अपेक्षित मात्रा**	**ईटों की अपेक्षित मात्रा**
RR Masonary 1:6, 9.89 CUM	9.89 X 1.65 =16.32 बैग	9.89 X 0.353 = 3.49 CUM	-
Brick work 1:6 9.15 CUM	9.15 X 1.20 =10.98 बैग	9.15 X 0.26 = 2.38 CUM	9.15 X 475 = 4346 ईटें
P/L CC 1:2:4 (20 mm Nominal size) 0.47 CUM	0.47 X 6.40 =3 बैग	रेत: 0.47X0.445 =0.21 CUM बजरी:0.47X0.89 =0.42 CUM	-

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 30 बैग सीमेंट के स्थान पर 38 बैग सीमेंट का प्रयोग किया गया था जबकि रेत व बजरी की खपत 250 CFT एवं 4000 ईटों की दर्शाई गई थी । अर्थात सीमेंट की निर्धारित मात्रा से अधिक खपत दर्शाई गई थी। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में 8 बैग सीमेंट का दुरुपयोग किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

10 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना।
2. अनुदान रजिस्टर
3. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
4. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।

11 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन :-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 **<u>लघु आपति विवरणिका</u> :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष :-** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2)41/2016–खण्ड–1–6626–6629 दिनाँकः 21.12.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत बड़ाग्रां, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.